बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0 (विविध)-09/2018-.....1285/आ0/नि0आ0 दिनांक-....27....नवम्बर'19

प्रेषक,

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

विषय :- **दिनांक-03 दिसम्बर'2019 को अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के परिप्रेक्ष्य में दिनांक-02 दिसम्बर से 08 दिसम्बर तक अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग सप्ताह मनाने एवं इससे जुड़े आयोजन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अन्तर्राष्ट्रीय दिवस यथा विश्व विकलांग दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 के अन्तर्गत वर्ष 1992 से की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के अधिकारों की संरक्षा एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र व विकास में इनकी सहभागिता को बढ़ावा देना एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यांगजनों की स्थिति एवं इनके सुधार के प्रति जागरूकता मे वृद्धि करना है।वर्त्तमान वर्ष 2019 के लिए विश्व विकलांग दिवस की थीम दिव्यांगों की भागीदारी एवं नेतृत्व को बढ़ावा देना : 2030 विकास एजेंडा अन्तर्गत कार्य **(Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership : taking action on 2030 Development Agenda).**

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 सम्पूर्ण भारत में प्रवृत्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-3 (1) के अन्तर्गत प्रावधान है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपयोग करे।

अधिनियम की धारा-79 के प्रावधान अनुरूप नियुक्त राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) के उत्तरदायित्वों में अन्य के अतिरिक्त निम्न शामिल है कि राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) -

धारा-80 (च) -दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा।

धारा-80 (छ) -दिव्यांगजनों के लिए आशायित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय के अनुरूप अधिकार निहित है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 के नियम-28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

उपरोक्त विवरणों के आधार पर स्पष्ट है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों के राज्य अन्तर्गत अनुपालन की सामूहिक जिम्मेदारी को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विशेष रूप से अंगीकृत किये जाने की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध में अधिनियम,2016 के प्रावधानों एवं तत्आलोक में अधिसूचित बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 के अन्तर्गत प्रवृत नियमों के प्रति समस्त पदाधिकारियों/कर्मियों को संवेदित किये जाने की आवश्यकता है।

क्र0पृ0उ0............

अधिनियम में शामिल प्रावधानों में से निम्न धाराओं के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है -

धारा-3 (1) -समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपयोग करे।

धारा-3 (2) - समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।

धारा-21 - समान अवसर नीति का अनुपालन से सम्बन्धित प्रावधान।

धारा-34 - प्रत्येक सरकारी स्थापन में कुल रिक्तियों का 04 प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान

धारा-35 - प्रत्येक निजी स्थापन में कम से कम 05 प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए नियोजन से सम्बन्धित प्रावधान

धारा-40 से 45 - अवसंरचना एवं परिसर को सुगम्य बनाने से सम्बन्धित प्रावधान।

धारा-37 - गरीबी उन्मूलन इत्यादि से सम्बन्धित विशेष स्कीमों एवं विकास कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान।

विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर पुन: कार्यालय द्वारा विहित एवं प्रदान की जा रही सुविधाओं की इस आधार पर उच्च स्तरीय समीक्षा की जानी चाहिए कि दिव्यांगजन पदाधिकारी/कर्मचारी को अपनी क्षमता का उपयोग करने हेतु समुचित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। अवसंरचना एवं परिसर की सुगम्यता एवं समान अवसर नीति के अनुपालन की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी दिव्यांग पदाधिकारी/कर्मी एवं आवश्यक कार्यार्थ आगंतुक दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपयोग कर सके।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि आगामी विश्व विकलांग दिवस 03 दिसम्बर'2019 के अवसर पर दिनांक-02 दिसम्बर'2019 से 08 दिसम्बर'2019 के मध्य उपरोक्त बिन्दुओं के अनुरूप आयोजन करने की कृपा की जाय। उल्लेखनीय है कि 08 दिसम्बर'2019 राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में किये गये आयोजन/कार्रवाई/प्रयासों से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय, जिसे इस कार्यालय द्वारा निर्मित वार्षिक रिपोर्ट (अधिनियम की धारा-83) तथा अधिनियम के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर वाद हेतु वांछित अनुपालन प्रतिवेदन में शामिल किया जा सके।

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
27.11.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-0सं0-09/रा0आ0नि0 (विविध)-09/2018-1285/आ0नि0आ0

दिनांक-27 नवम्बर'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.11.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-0सं0-09/रा0आ0नि0 (विविध)-09/2018-1285/आ0नि0आ0

दिनांक-27 नवम्बर'19

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.11.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।